1. महेन्द्र दाधिच पुत्र श्रीनिवास दत्तक पुत्र काशीराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी भाखडा कॉलोनी, खानपुर, पुलिस थाना लाडनूं, जिला डीडवाना-कुचामन, हाल डीडवाना रोड़, नागौर, पुलिस थाना कोतवाली, नागौर।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक, नागौर

..... अप्रार्थी

उपस्थितः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से - श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता
2. राजस्थान राज्य की ओर से - श्री अनिल गौड़, अपर लोक अभियोजक
3. परिवादी की ओर से - श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1971 (नई धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

(A) Case Details :-

FIR Number & Date	427/24.07.2023
Police Station, District and State	कोतवाली, नागौर, जिला नागौर, राजस्थान
Section invoked	धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता, 1860
Maximum punishment prescribed	आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी।

(B) Custody & Procedural Compliance:-

Date of Arrest	25.05.2026
Total period of custody undergone	11 Days

(C) Status of trial:-

Stage of Proceedings (Investigation/Charge sheet/Cognizance/Framing of charges/Trial)	Investigation
Total number of witnesses cited in the charge sheet	Nill
Number of prosecution witnesses examined	Nill

(D) Criminal Antecedents:-

क्र.सं.	मुकदमा नंबर मय धारा	पुलिस थाना	चार्जशीट नंबर मय धारा	वर्तमान स्थिति
1.	103/25.07.2018 US 420, 406 IPC व 3(1)(x) SC/ST Act	खेड़ापा, जोधपुर	CS No. 02/19.01.2019 US 420, 406 IPC व 3(1)(x) SC/ST Act	जैर-ट्रायल

(E) Previous Bail Applications :-

Court	Nill
Case No.	Nill
Outcome of Case	Nill

(F)

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued :- Nill
- Whether declared a proclaimed offender :- Nill

आदेश

दिनांक 04.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1971 (नई धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 427/2023, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर में प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किए गए। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षों की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. केस डायरी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी भंवरलाल ने एक परिवाद न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर में धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1971 के तहत अभियुक्तगण शोभा देवी वगैरह के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि परिवादी के स्वामित्व का एक भूखण्ड शहर नागौर में हनुमान बाग कॉलोनी में डीडवाना रोड़ पर माली संस्थान के सामने आया हुआ है। उक्त भूखण्ड के संबंध में आनन्दी देवी ने परिवादी के विरुद्ध एक दीवानी वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश, नागौर में पेश किया तथा उसके बाद उक्त भूखण्ड परिवादी ने आनन्दी देवी को बेचते हुए विक्रय पत्र उनके पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दिया। उक्त भूखण्ड की मालिक आनन्दी देवी हो गई। उक्त दावा बाबत् परिवादी को बाद में जानकारी हुई कि अभियुक्त महेन्द्र व शोभा ने परिवादी के उक्त भूखण्ड को हड़पने की नीयत से व परिवादी को सारवान नुकसान कारित करने की नीयत से परिवादी के नाम से एक 500/- रुपए का स्टाम्प अभियुक्त महेन्द्र ने नागौर में खरीदकर उस पर एक मुख्त्यारनामा आम अपनी पत्नी शोभा देवी के नाम से तैयार करवाकर उस पर परिवादी के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर दिनांक 06.06.2022 को तैयार करवा लिया, जिसमें महेन्द्र के पिता श्रीनिवास व सुरेश शर्मा की साख डलवायी है, जो इस षड्यंत्र में शामिल रहे। आम मुख्त्यारनामा फर्जी व कूटरचित होने की जानकारी होते हुए भी उसे असल के रूप में उपयोग लेते हुए परिवादी की ओर से उपस्थित दी व शोभा के नाम से उक्त भूखण्ड में अपना कब्जा साबित करने की नीयत से बिजली कनेक्शन हेतु नगरपरिषद, नागौर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाने का आवेदन पेश किया, जिसमें नगरपरिषद नागौर द्वार परिवादी की सहमति मांगने पर अभियुक्त महेन्द्र ने परिवादी के नाम से 50/- रुपए का स्टाम्प दिनांक 29.03.2022 को खरीद कर एक फर्जी व कूटरचित शपथ पत्र तैयार कर उस पर परिवादी के कूटरचित हस्ताक्षर कर उसे असल के रूप में नगरपरिषद्, नागौर में पेश कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया.....इत्यादि।

3. उक्त परिवाद न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1971 के तहत पुलिस थाना कोतवाली, नागौर को प्रेषित किया गया, जिस पर पुलिस थाना कोतवाली, नागौर ने मुकदमा संख्या 427/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त

को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष एक जमानत प्रार्थना पत्र धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत किया, जो दिनांक 27.05.2026 को अस्वीकार कर खारिज किए जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कथित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। आम मुख्त्यारनामा प्रार्थी/अभियुक्त के हक में निष्पादित नहीं किया गया है, न ही उस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रार्थी/अभियुक्त लम्बे समय से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही गवाहान पैरवी को बहकाये जाने का अंदेशा है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने के लिए तैयार हैं। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध का गंभीर आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया एवं केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध परिवादी भंवरलाल के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर आम मुख्त्यारनामा व शपथ पत्र निष्पादित करने व उनको असल के रूप में उपयोग करने का गंभीर आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं। विवादग्रस्त आम मुख्त्यारनामा व शपथ पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र के पहचानकर्ता रूप में हस्ताक्षर होना प्रथम दृष्ट्या दर्शित है। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार विवादग्रस्त मूल शपथ पत्र पर अंकित परिवादी भंवरलाल के हस्ताक्षर विवादरहित दस्तावेजात से मिलान नहीं होना पाया गया है। पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध का आरोप प्रमाणित माना गया है।

8. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता आदि को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किये बगैर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

9. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र दाधीच पुत्र श्रीनिवास दत्तक पुत्र काशीराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी भाखडा कॉलोनी, खानपुर, पुलिस थाना लाडनूं, जिला डीडवाना-कुचामन, हाल डीडवाना रोड़, नागौर, पुलिस थाना कोतवाली, नागौर की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

10. इस आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को उपलब्ध करवाने हेतु जरिए ई-मेल प्रभारी अधिकारी, जिला कारागृह, नागौर को अविलम्ब प्रेषित की जावें। केस डायरी लौटाई जावें।

(विक्रम साँखला)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर

11. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रम साँखला)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर